न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 79/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती गुड्डी कुंवर पत्नी अजयभानसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जयसिंह पिता स्वर्गीय भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशनसिंह पिता पहाड़सिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवेन्द्रसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती दाखु कुंवर पुत्री हीरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. निर्भयसिंह पिता गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. भंवरसिंह पिता उदयसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मीरा पुत्री गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती रूकमणीबाई बेवा गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती राजू पुत्री भूरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 25.06.2024 प्र.सं. 75/2024

———/———

उपस्थित :– 1– श्री कपिलसिंह राव अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– श्री देवीलाल जाट अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 30–05–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 166, 168, 243 से 247, 359, 360, 364, 420 से 430 एंव 433 कुल किता 22 रकबा 2.8150 हैक्टर भूमि मौजा कटारा, तहसील बड़गांव में स्थित है, जिसमें वादी का 2159/14050 वां हिस्सा है। पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, किन्तु भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से सही तरीके से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तथा छोटी मोटी बातों पर विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25–06–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कपिलसिंह राव उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को मात्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 57/2024 के सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक 03–06–2024 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रातः 10 बजे गयी तथा सम्मन दिखाये जो रीडर ने 2 बजे आने को कहा, 2 बजे गयी एवं पत्रावली पर हस्ताक्षर करने का कहा तो रीडर ने कहा कि आप इन्तजार मत करो, आप बाद में आना दावे की नकल दिलवा दूंगा। उसके बाद 2 दिन बाद पुनः जाने पर बताया कि कॉज लिस्ट में आगामी पेशी अंकित नहीं है। आप कुछ दिन बाद आना। इसके बाद अपीलान्ट के कई चक्कर लगाये, किन्तु उन्हें पेशी नहीं दी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

को सुने बिना एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी गयी है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 निर्भयसिंह ने क्रॉस आब्जेशन (काउण्टर अपील) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद संख्या 78/2019 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह विचाराधीन है, किन्तु अब उन्हें पश्चातवर्ती विभाजन के वाद का ज्ञान हुआ है। पूर्व में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जयसिंह उपस्थित था, फिर भी जानबूझकर पूर्व वाद विचाराधीन होते हुए अन्य सहखातेदारों की परोक्ष में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें हमारी फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय वाद डिक्री करवा लिया है, जबकि पूर्व वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 40/2019 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी है, जो अभी भी प्रभावी है, फिर भी बिना हमारी तामील कराये राजस्व कर्मचारियों से गलत विभाजन प्रस्ताव बनवाकर नया वाद प्रस्तुत कर विभाजन की डिक्री प्राप्त कर ली है, जो निरस्त की जाकर पूर्व के विभाजन के वाद के विचारण के दौरान तक स्थगित फरमायी जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि उन्हें उक्त वाद की कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रत्येक सहखातेदार को अपनी भूमि का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट गुड्डी कुंवर द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। अपीलान्ट का कथन है कि उसे कोई समन प्राप्त नहीं हुये जिससे वह अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नही रख सकी। वही रेस्पोडेन्ट संख्या 5 निर्भयसिंह द्वारा क्रॉस अपील प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद संख्या 78/2019 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह विचाराधीन है, पूर्व वाद विचाराधीन होते हुए अन्य सहखातेदारों की परोक्ष में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें हमारी फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय वाद डिक्री करवा लिया है, जबकि पूर्व वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 40/2019 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी है, जो अभी भी प्रभावी है। इस बाबत उनकी ओर पूर्व वाद संख्या 110/16 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह कि आदेशिका एवं वादपत्र कि फोटोप्रति प्रस्तुत कि जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारो के मध्य इन्हीं विवादित भूमि बाबत् वाद विचाराधीन है, जबकि धारा 10 सी.पी.सी. अनुसार ''समान वाद हेतुक, समान विषय वस्तू तथा समान अनुतोष के संबंध मे दो समानान्तर वादों के न्याय निर्णयन तथा साथ–साथ ग्राहता से एक ही न्यायालय कि अधिकारिता को रोकना है।'' तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 निर्भयसिंह द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दोनो वाद संख्या 110/16 निर्भयसिंह बनाम किशनसिंह एवं 75/24 जयसिंह बनाम किशनसिंह को समेकित करते हुये पक्षकारो को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकरण

9. साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–07–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested